Scanned with CamScanner

कार्यालय–कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा

दुकान आवण्टन हेतु आवश्यक सूचना

नवीन मण्डी स्थल,एटा के खाद्यान्न के समस्त दुकान विहीन लाईसेंसधारी व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि नवीन मण्डी स्थल, एटा के खाद्यान्न प्रखण्ड में ई–नाम प्लेटफार्म के पास नवनिर्मित "स" श्रेणी की सामान्य वर्ग की दुकान संख्या 02, 04, 06, 08, 14, 16 कुल 06 नग, अन्य पिछड़ा वर्ग की दुकान संख्या 07, 13, 17 कुल 03 नग, अनुसूचित जाति की दुकान संख्या 15 कुल 01 नग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दुकान संख्या 10, 20 कुल 02 नग इस प्रकार कुल 12 नग दुकानों का आवण्टन, आवंटन समिति द्वारा दिनांक 10.03.2021 को अपरान्ह 13:00 बजे दिन बुधवार को मण्डी समिति, एटा के सभाकक्ष में खुली नीलामी बोली द्वारा किया जायेगा।

दुकान नीलामी में भाग लेने हेतु नियम व शर्तें

1. नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जमानत राशि के रूप में रू0 55000.00 जमा करने होगें।
2. दुकान विहीन लाइसेन्सधारियों को अन्तिम रूप से चेतावनी के साथ सूचित किया जाता है कि जिन दुकान विहीन लाईसेन्सधारियों द्वारा उपरोक्त आवंटन प्रक्रिया में आवेदन नही किया जायेगा उनके मण्डी लाइसेन्स समाप्त कर उनकों मण्डी से बाहर निकाला जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी लाईसेंसधारक की होगीं।
3. मण्डी स्थल में निर्मित दुकानों के आवण्टन हेतु निर्गत "आवण्टन विनियमावली–2016" एवं इस विषय में जारी संशोधन के अन्तर्गत आवण्टन होगा।
4. आवेदक को मण्डी का लाईसेंसी होना अनिवार्य है।
5. नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र रू0 295/–(18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) नगद जमा कर आवेदन प्राप्त कर सकते है.।
6. आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण/जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/नगद जो कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना होगा। चैक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. आरक्षण प्राप्त करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा जारी डिजीटली प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा।
8. यदि किसी फर्म को पूर्व में दुकान आवण्टित है तो पुनः उस फर्म को दुकान नहीं दी जायेगी।
9. आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2021 सायं 04:00 बजे तक कार्यालय में जमा करने होगें।
10. आवेदन पत्र के साथ विगत तीन वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक जमा मण्डी शुल्क एवं टर्नओवर का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। जमा मण्डी शुल्क तथा टर्नओवर में से किसको आवंटन हेतु विकल्प चुना गया है, का भी उल्लेख करना होगा।
11. उ0प्र0 शासन संख्या कार्मिक अनुभाग–2 संख्या–5/2019/4/1/2002/ का–2/2019 टी.सी., लखनऊ 13 अगस्त, 2019 द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

Scanned with CamScanner

12. नवीन मण्डी स्थल, में पूर्व में आवण्टित दुकानों का समस्त प्रीमियम धनराशि दिनांक 15.03.2021 तक जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में फर्मों द्वारा जमा समस्त प्रीमियम जब्त करते हुये दुकान आवण्टन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।

(जगत सिंह तेवतिया)
सचिव

(अलंकार अग्निहोत्री)
अपर उप जिलाधिकारी / सभापति

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, एटा

पत्रांक–कृ0उ0म0स0 / दु0आ0 / 2021– 887 दिनांक–25.02.2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान, एटा को इस आशय से कि आवश्यक सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के एक दिन के अंक में कम से कम स्थान पर सरकारी दर पर कराने का कष्ट करें।
2. संभा0 उपनिदेशक(प्रशा0 / विप0), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,अलीगढ़ / अध्यक्ष, दुकान आवंटन कमेटी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. दुकान आवंटन कमेटी के के सदस्यों की सेवा में इस आशय से कि कृपया दुकान आवंटन हेतु आहूत बैठक दिनांक 10.03.2021 को अपरान्ह 13:00 बजे स्थान सभाकक्ष कार्यालय मण्डी समिति, एटा में भाग लेने की कृपा करें।
5. अध्यक्ष / महामंत्री,खाद्यान्न व्यापार एसोसिएशेन नवीन मण्डी स्थल, एटा का इस आशय से कि कृपया आप अपने स्तर से ऐसे समस्त सदस्यों को सूचित करने का कष्ट करें।
6. जनसूचनार्थ निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
   नोटिस बोर्ड / चैक पोस्ट मण्डी समिति,एटा, कार्यालय जिलाधिकारी, एटा तहसील, एटा।
7. दुकान आवंटन पत्रावली हेतु।

(जगत सिंह तेवतिया)
सचिव